इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2024—श्रावण 4, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2024

क्र. 1761-2126458-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आलोक रंजन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, प्रबन्ध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 26 जुलाई 2024 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13-14 व 27-28 जुलाई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में साउथ अफ्रिका की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री आलोक रंजन, भापुसे. के अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक, प्रबन्ध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य प्रभार श्री विवेक शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, प्रबन्ध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आलोक रंजन, भापुसे. द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2024

क्रमांक/एफ 16-01/2021/10-2 : राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10.12.2021 में प्रकाशित "संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर.सी.ई.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में निम्न संशोधन करता है :-

1. उक्त नीति में अंकित शब्द "वृक्षारोपण" के स्थान पर "पौधारोपण" संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. उक्त नीति की कण्डिका 4.1 एवं 8.4 में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

संशोधित कण्डिका क्रमांक-4.1

वन भूमि पर किये जाने वाले पौधारोपण हेतु न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया जायेगा। जिला स्तर पर ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र उपलब्ध है को क्लब (संविलियन) कर 10 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। मायनिंग क्षेत्र पर जहां रोपण की स्थिति न हो वहां आस-पास स्थित उपयुक्त क्षेत्रफल में पौधारोपण किया जाएगा। पुर्नस्थापना हेतु वन क्षेत्र की स्थिति एवं उपचार के संबंध में वनमंडलाधिकारी प्रस्तावक संस्था को अपने अभिमत से अवगत करायेंगे।

संशोधित कण्डिका क्रमांक-8.4

प्राप्त निधियों से वनमंडल स्तर पर वन विकास अभिकरण, वन समितियों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके, सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार कार्य सम्पादित करा सकेगी। जिला स्तर पर 10 हेक्टेयर या उससे अधिक क्लब किये गये प्रकरणों में पौधारोपण की राशि वन विभाग के वन विकास अभिकरण के खाते में रखी जायेगी। 10 हेक्टेयर की सीमा प्राप्त होने पर उक्त राशि वन विभाग द्वारा जिला स्तर पर पौधारोपण हेतु उपयोग में लाई जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.